न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर.के. जैन

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-872-दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 11-02-2016 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार, तहसील लवकुश्नगर का प्रकरण क्रमांक 11/अ-70/2014-15

.....

1- हरप्रसाद तनय रामबक्श काछी
2- जाली तनय रामबक्श काछी
3- रामाधीन तनय दिविया धोबी समस्त
निवासीगण-लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर
जिला-छतरपुर(म.प्र.)

----------आवेदकगण

विरूद्ध

1- कमलिया पत्नी गटरू कुशवाहा
2- गटरू तनय सरजू कुशवाहा
3- मुन्ना तनय रजुआ धोबी
4- गन्सू तनय रजुआ धोबी
5- देशराज तनय बूठा धोबी
6- जग्गू तनय बूठा धोबी
निवासीगण-लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर
जिला-छतरपुर(म.प्र.)

----------अनावेदगण

.....

श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री कुवंर सिंह कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26 07 2018 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार लवकुशनगर,

जिला-छतरपुर, जिला-छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-02-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका क्र.1 कमलिया पत्नि गटरू द्वारा ग्राम लवकुशनगर स्थित आराजी नं. 419/1, रकबा 0.405 है., 419/2 रकबा 1.113 है. में से 0.120 है. एवं 0.30 है. से अवैध कब्जा हटाने हेतु संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन पत्र तहसीलदार लवकुशनगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अनावेदिका द्वारा कब्जा बेदखली का आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में पेश किये जाने की जानकारी होने पर आवेदक हरप्रसाद ने भी धारा 11 जा.फौ. का आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में पेश किया, जिस पर तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 11/अ-70/2014-15 में आदेश दिनांक 11-02-16 से उक्त वादग्रस्त भूमि पर अनावेदिका क्र.1 का कब्जा मानते हुये आवेदक के द्वारा प्रस्तुत धारा 11 जा0फौ0 का आवेदन इस आधार पर अमान्य किया कि अनावेदिका क्रमांक 1 कमलिया द्वारा सीमांकन दिनांक 31-05-2014 के आधार पर धारा 250 के अंतर्गत कब्जा वापिस करने का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें खसरा नं. 419/2 के भूमिस्वामी अनावेदक क्र. 2 गटरू के पिता सरजू है । खसरा नं. 419/2 के संबंध में पूर्व में कोई कार्यवाही प्रचालित नहीं है। फलस्वरूप धारा 11 जा0फौ0 प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया कि अनावेदिका क्र.1 द्वारा खसरा नं. 419/1 रकबा 9.495 है. के सीमांकन दिनांक 26-06-2009 को अधार बनाकर आवेदक क्र. 1 व 2 तथा अन्य के विरूद्ध तहसील न्यायालय में कब्जा वापिसी का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो आदेश दिनांक 16-11-2010 से निरस्त किया गया । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी लौंड़ी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई एवं सिविल वाद प्रथम न्यायालय प्रथम वर्ग-2 के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था, जो क्रमशः आदेश दिनांक 04-10-2010 एवं 15-02-2013 से निरस्त किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार करते हुये तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

2/3

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया कि सीमांकन आदेश दिनांक 26-06-2009 के आधार पर पक्षकार भिन्न थे। यह प्रकरण सीमांकन आदेश दिनांक 10-06-14 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा पक्षकार भी भिन्न है। इस प्रकार दोनों प्रकरणों के वाद बिन्दु अलग है तथा पक्षकार भी अलग-अलग है, इसलिये धारा 11 जा0फौ0 के प्रावधान लागू नहीं होते है। तहसील न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह उचित है। अतः निगरानी निरस्त की जावे।

26.7.18

5/ उभयपक्ष के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। मेरे द्वारा तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 11/अ-70/2014-15 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के न्यायालय में उक्त प्रकरण दिनांक 10-06-2014 के सीमांकन के आधार पर प्रारंभ किया गया है । राजस्व प्रकरण क्रमांक 25/अ-12/2013-14 आदेश दिनांक 10-06-2014 की आदेश पत्रिका में टीप अंकित है कि - " खसरा नं. 419/1, 419/2 के भाग 0.120 पर मुन्ना गन्शू पिता रजुआ रामाधीन पिता दिविया वूढ़ा पिता धनुवा धोबी का जोतकर कब्जा पाया गया है। " मौका पंचनामा दिनांक 31-05-2014 में भी उक्त आशय की टीप अंकित है ।

6/ उपरोक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार के द्वारा निगरानीकर्ता/आवेदकगण के विरूद्ध 31-05-2014 के सीमांकन के आधार पर धारा 250 की कार्यवाही की है । इस कार्यवाही में कुछ पक्षकार भी भिन्न है । निगरानीकर्ता /आवेदक का यह कहना कि पूर्व में निर्णित राजस्व /व्यवहार न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर बेदखल की कार्यवाही पुन: नहीं की जा सकती है, यह उचित नहीं है, क्योंकि पूर्व निर्णित प्रकरण तत्समय के सीमांकन/ कब्जे के आधार पर निर्णित किये गये थे, जबकि तहसील न्यायालय का प्रकरण क्रमांक 11/अ-70/2014-15 सीमांकन दिनांक 31-05-2014 के आधार पर प्रारम्भ किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण उभयपक्षों की साक्ष्य हेतु नियत है।

3/3 7/ अत: उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत न होने से निगरानी आवेदन निरस्त किया जाता है ।

26.7.18

(आर.के. जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश
ग्वालियर,